"पे-फोन" उपभोक्ताओं द्वारा टेलीफोन बिलों का भुगतान न किया जाना

2003. श्री अजीत जोगी :
श्री राधा किशन मालवीय :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अधिकांश फोन उपभोक्ताओं ने पिछले कई महीनों से अपने टेलीफोन-बिलों का भुगतान नहीं किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) प्रत्येक एजेंसी के नाम पर कितनी धनराशि बकाया है ; और

(घ) बकाया धनराशि को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या प्रयास किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) कुछ मामलों में पे-फोन उपभोक्ताओं ने इस आधार पर भुगतान नहीं किया है बिल में दर्ज रकम की तुलना में उनकी वास्तविक वसूली बहुत कम थी ।

(ग) एजेंसी-वार बकाया पड़ी रकम इस प्रकार से है :—

एजेंसी का नाम	बकाया पड़ी रकम (लाखों रु. में)
मैसर्स ऐपलाब	61.55
मैसर्स ओमनीटेल	217.26
मैसर्स ऊषा सर्विसेज और कंसलटैन्ट्स	56.00
मैसर्स आ० ई० पी० सी० एल०	113.93
मैसर्स पैक्टेल	76.74

(घ) ऐसे सभी एस०टी०डी० सार्वजनिक टेलीफोन घरों के कनेक्शन काट दिए गए हैं, जिनके ऊपर रकम बकाया है और बकाया रकम के भुगतान के लिए एजेंसियों से बातचीत की जा रही है ।

Filling up ot SC and ST Vacancies by the Post Offices in Delhi

2004. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a good number of vacancies in Group 'D' posts in the reserved category of SC and ST have been lying vacant in the 0/OSr. Superintendents, in Posts offices and GPO's in Delhi/New Delhi since long;

(b) if so. the details name of the post and how many of them are reserved for SC and how many are of ST in each post office; and

(c) what action has been taken conlemplated to fill lip the same?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) Yes, Sir. Seven vacancies in each of SC and ST are lying vacant.

(b) Name of office where vacancies are lying vacant	No. of vacancies for Scheduled Castes	No. of vacancies for Scheduled Tribes
SSPO Central	2	4
SSPO East	–	1
Delhi GPO	–	–
New Delhi HO	5	2
TOTAL :	7	7

(c) Speciel recruitment for filling up these vacaacies for SC/ST candidates *ie* in progrew.

टेलीफोन बिलों को माफ किया जाना

2005. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक टेलीफोन बिलों का नियमानुसार भुगतान न होने पर भी ये टेलीफोन काम कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या नियम हैं ; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सर्किल-वार कितने तथा कितनी धनराशि वाले टेलीफोन-बिलों को माफ किया गया है और टेलीफोन बिलों को माफ करने के संबंध में क्या नियम हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) कुछ टेलीफोन के बिलों का भुगतान न होने पर भी ये टेलीफोन काम कर रहे हैं क्योंकि—

(i) वे छूट-प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत आते हैं ;

(ii) बकाया राशि, संबंधित एक्सचेंज प्रणाली के द्विमासिक किराए से कम अथवा उसके बराबर है ;

(iii) ग्राहक मंचों अथवा न्यायालय से प्राप्त स्थगन आदेश के कारण ।

(ग) विभागीय नियमों के अनुसार किसी टेलीफोन बिल को माफ नहीं किया जाता है ।

गुजरात में ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज

2006. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) गुजरात में ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज से कितने टेलीफोनों के लिए मांग की गई तथा कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) जी नहीं, गुजरात में ग्रामीण एक्सचेंज संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं । तथापि वर्षा के दौरान ग्रामीण एक्सचेंजों से जुड़े कुछ ट्रंक जंक्शनों में खराबी उत्पन्न हो जाने के कारण टेलीफोन सेवायें अपेक्षाकृत लम्बे समय तक प्रभावित होती है । इन खराबियों को दूर करने के लिये तत्काल कार्रवाई की जाती है । इसके अतिरिक्त, पुरानी प्रौद्योगिकी के एक्सचेंजों में कभी-कभी यांत्रिक दोष उत्पन्न हो जाते हैं । जिन्हें तत्काल ठीक कर दिया जाता है ।

(ग) गुजरात में (31-2-94 तक की प्रतीक्षा सूची) ग्रामीण एक्सचेंजों में दर्ज भागों की संख्या 19019 है और 31.1.94 की स्थिति के अनुसार आवंटित कनेक्शनों की संख्या 5858 है ।

टेलीफोनों की प्रतिष्ठापित क्षमता का उपयोग

2007. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में टेलीफोन की प्रतिष्ठापित क्षमता का पूर्ण-उपयोग नहीं किया जा रहा है ;